

# मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

## केनिकर विधार्चन सूची

लोमबाद, दिनांक 7 सितम्बर, 1992 (भाज 16, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. पत्रों का पठल पर रखा आना

श्री जयेंत मलैया, राज्यमंत्री आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पठल पर रखेंगे।

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री उदयसिंह पंडिया, प्रेमसिंह दत्तीगांव, सदस्य, टैक्स्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदाय की गई घटिया कॉटनशक्क के प्रयोग से फसलों को हुई क्षति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री माधव सिंह धूब, सदस्य, रायपुर वन मंडल के अनेक क्षेत्रों में राजस्थान के जानवरों के प्रवेश से जगलों का विनाश होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

लाल राजेन्द्र सिंह बघेत, सभापति, आंश्वासन संस्मिति का सत्रहवां, अठारहवां एवं उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अनन्प सिंह मराठी, सदस्य, जिला जबलपुर तहसील कुण्डम के ग्राम मिहगंवा के भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि आवंटन करने,

(2) श्री तेज सिंह सेधव, सदस्य, जिला देवास, विकासखण्ड बागली के ग्राम आमलालाज में अस्पताल भवन बनाने,

(3) श्री देशराज सिंह, सदस्य, जिला गुना, विकासखण्ड मुंगावली के शासकीय महाविद्यालय के भवन की स्वीकृति,

(4) श्री मोहनलाल शिंशिर, सदस्य -

(क) जिला सीहोर के विधान सभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत, बकतरा-शाहगंज, शाहगंज-बुधनी, बुधनी-नसरूललागंज व्हाया रेहटी, नसरूललागंज-गोपालपुर, तथा नसरूललागंज-नादान व्हाया बड़कुई रोड की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) जिला सीहोर विकासखण्ड नसरूललागंज के अंतर्गत गोपालपुर-पिपलानी, छिन्दगांवमोजी-छापरी, सतराना-चकलदी, तथा इटावाकला-निमोटा सड़कों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने,

(5) श्री विक्रम सिंह यादव, सदस्य -

(क) जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी नगरपालिका पृथ्वीपुर के हाई स्कूल में ग्यारहवां एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ कराये जाने,

(ख) जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी के अंतर्गत नगरपालिका निवाड़ी के हाईस्कूल में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ कराये जाने,

(6) श्री पूरसिंह पवार, सदस्य -

(क) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम माचलपुर में कन्या हाईस्कूल खोले जाने,

(ख) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर की कालीसिंध नदी, भगौरा रोड पर रपटा निर्माण कराने,

(ग) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम माचलपुर में जल संकट को दूर करने के लिए भूतियावें बांध का निर्माण कराने,

(घ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम पगारिया डगजीरापुर मार्ग पर कालीसिंध नदी पर रपटा निर्माण कराने,

- (क) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के जीरापुर नगर में पानी की टंकी का निर्माण,  
 (छ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जीरापुर के ग्राम भैडावद में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने,  
 (ज) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जिलाधीपुर के ग्राम संडावता सोनखेड़ा, बाम्हणगांव, जेतपुरा में सड़क निर्माण कराये जाने,  
 (झ) जिला राजगढ़ विकासखण्ड जिलाधीपुर के ग्राम आबड़ी खेड़ा में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(7) श्री रविन्द्र ढीबे, सदस्य -

- (क) जिला दुर्ग के साजा अनुविभागीय मुख्यालय में ३० बिस्तर बाले अस्पताल का भवन निर्माण कराने,  
 (ख) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम देवकर में प्राथमिक स्कॉलरिटी केन्द्र खोले जाने,  
 (ग) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम भटगांव में पूर्व माध्यमिक शाला खोले जाने,  
 (घ) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम साजा के शा. महाविद्यालय का भवन निर्माण कराने,  
 (ज) जिला दुर्ग विकासखण्ड साजा के ग्राम साजा में कन्या उ.मा. शाला का भवन निर्माण कराये जाने;

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य -

- (क) जिला मुरैना के ग्राम मानपुर तहसील में डाक बॉक्स की सीमा दीवार बनाने,  
 (ख) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम महाराजपुर गांव से गुजरने वाली सड़क की ऊचाई बढ़ाने,  
 (ग) जिला मुरैना तहसील जौरा के ग्राम तोर (तिलावली) में श्री मुंडी सिंह पमार के मोहल्ले से भपसिंह के मोहल्ले तक खड़जा निर्माण कराने,  
 (घ) जिला मुरैना के ग्राम गलेधापराना जौरा के मजरा बील के पुरा के तालाब को पकड़ा कराने,  
 (ज) जिला मुरैना के ग्राम सोटा-मुंगावली में सड़क का डामरीकरण कराये जाने,  
 (झ) जिला मुरैना के ग्राम बसई (पलपुरा) परगाना में खड़जा निर्माण कराये जाने,  
 (ज) जिला मुरैना के ग्राम मुंगावली के अंदर की सड़क ऊची कर दोनों ओर नानिया निर्मित कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलेया, राज्य मंत्री आवास एवं पर्यावरण, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 18 सन् 1992) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, कृषि मंत्री, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 19 सन् 1992) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश लोक आयुर्क एवं उपलोक आयुर्क (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992) का अननुमोदन करता है।"

1 घन्टा

### 6. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुर्क एवं उपलोक आयुर्क (संशोधन) विधेयक, 1992, (क्रमांक 9 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

### 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार/जातम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश सामान्य विकल्पकर (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992) का अननुमोदन करता है।"

1 घन्टा

### 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यक कर मंत्री, मध्यप्रदेश सामान्य विकास कर (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 12 सन् 1992) का पुरस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 10. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जगदम्बा प्रसाद निगम/गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992) का अननुमोदन करता है"।

1 घन्टा

### 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 13 सन् 1992) का पुरस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 12. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जालम सिंह पटेल/गजराज सिंह सिकरवार/रविन्द्र चौबे/ जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/चौधरी राकेश सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) का अननुमोदन करता है"।

3 घन्टे

### 13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भेरुलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 14 सन् 1992) का पुरस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 14. नियम 142-के अधीन अत्पकालीन चर्चा

मध्यप्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं प्रदाय नीति में परिवर्तन किए जाने से उत्पन्न विद्युत संकट के संबंध में श्री जालम सिंह पटेल, कु. कल्याणी पाण्डेय, श्री गजराज सिंह सिकरवार, डा. गोविन्द सिंह, श्री रामानंद सिंह, श्री रविन्द्र चौबे, श्री ताराचन्द साहू एवं श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्याण चर्चा उठाएंगे।

भोपाल :  
दिनांक : 6 सितम्बर, 1992

**विश्वेन्द्र मेहसा**  
सचिव  
मध्यप्रदेश विधान सभा